प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –172 / 2023

अनवान : –

1. अब्दुल लतीफ पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नाबालिग आयशा सिद्विका एजुकेशन ट्रस्ट नोहर संरक्षिका जरिये अध्यक्ष अब्दुल लतीफ पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नसरीन पुत्री उमरदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र चानणराम जाति सुथार साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. मनोज कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहरं
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नोहर के खाता स0 29 / 36 के ख0न0 25 की 6.8670 हैक्ट भूमि में से वादी का 370 / 6867 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी स0 5 का 1265 / 27468 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1033 / 6540 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 3307 / 6867 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 17891 / 68670 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि का बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से हुआ हैः– रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता स0 29 / 29 के ख0न0 25 की 6.8670 हैक्ट भूमि में से

1. ख0न0 25 / 1 की 0.37 हैक्ट भूमि यानी वादी स0 1 के पास रहेगी।
2. ख0न0 25 / 2 की 0.3163 हैक्ट भूमि वादी स0 2 के पास रहेगी।
3. ख0न0 25 / 3 की 1.0846 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी।
4. ख0न0 25 / 4 की 1.7891 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के पास रहेगी।
5. जोगीआसन स0 1 तहसील नोहर के खाता स0 29 / 36 मं बलवीर पुत्र चानणराम जाति सुथार साकिन खस[illegible] हैक्ट भूमि प्रतिवादी स. 2 के पास रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 3 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा रोही मौजा नोहर के खाता स0 29/36 के ख0न0 25 की 6.8670 हैक्ट भूमि में से वादी का 370/6867 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी स0 5 का 1265/27468 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1033/6540 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 3307/6867 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 17891/68670 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता स0 29/36 के ख0न0 25 की 6.8670 हैक्ट भूमि में से वादी का 370/6867 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी स0 5 का 1265/27468 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1033/6540 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 3307/6867 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 17891/68670 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में ख0न0 25/1 की 0.37 हैक्ट भूमि का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ख0न0 25/2 की 0.3163 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0न0 25/3 की 1.0846 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।. ख0न0 25/4 की 1.7891 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

खसरा न0 25/5 की 3.3070 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.06.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –172 / 2023

अनवान : –

1. अब्दुल लतीफ पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नाबालिग आयशा सिद्दिका एजुकेशन ट्रस्ट नोहर संरक्षिका जरिये अध्यक्ष अब्दुल लतीफ पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. नसरीन पुत्री उमरदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र चानणराम जाति सुथार साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. मनोज कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल साकिन नोहर तहसील नोहरं
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 172 सन 2023 निर्णय दिनांक 01.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता स0 29 / 36 के ख0न0 25 की 6.8670 हैक्ट भूमि में से वादी का 370 / 6867 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी स0 5 का 1265 / 27468 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1033 / 6540 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 3307 / 6867 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 17891 / 68670 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि ख0न0 25 / 1 की 0.37 हैक्ट भूमि यानी वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ख0न0 25 / 2 की 0.3163 हैक्ट भूमि वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0न0 25 / 3 की 1.0846 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।. ख0न0 25 / 4 की 1.7891 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा न0 25 / 5 की 3.3070 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:04 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा